प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

1. जिलाः A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar थानाः C.P.S, A.C.B. Jaipur वर्ष 2024

प्र.ई.रि.सं. 287/24 दिनांक 12/12/2024

2.–(1) अधिनियमः **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित–2018)** धारायें – 7 (ग), 13(1) (ए), सपठित धारा 13(2), 12 पीसी एक्ट 1988

(2) अधिनियमः **भारतीय दण्ड संहिता** धारा – 409, 120 (बी)

(3) अधिनियमः **राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012** धारा – **41**

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......63..........समय....9:25 Pm....

(ब) अपराध के घटने का दिनः **वित्तीय वर्ष 01.04.2021-22 एवं 01.04.2022-23 समय** 10 एएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – **12.10.2023**

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित (PE No- 44/2023)

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः **दूरी करीब 75 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें**

(ब) पताः– **पंचायत समिति नीमराना, तत्का.जिला–अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड।**

बीट संख्या .... जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला.........

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री सरकार जरिये महेन्द्र कुमार (ब) पिता का नाम :–रामकिशोर मीणा

(स) जन्म तिथि :–53 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या.......................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः– राज्य सेवा (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)

(ल)पताः– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर–प्रथम, अलवर (राज.) मो.न.[illegible]

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियां सहित :–

1. श्री बलजीत यादव पुत्र श्री गोपीराम यादव उम्र 46 साल तत्कालीन विधायक बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड
2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भान सिंह उम्र 45 साल निदेषक मै.बालाजी कम्पलीट सोल्यूषन प्रा.लि. जे-94 नारायण विहार सांगानेर जयपुर
3. श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री विजय सिंह उम्र 24 साल प्रो. मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज प्लाट नं. 41 गोविन्द विहार बदरवास गोपालपुरा बाईपास जयपुर
4. श्री राजमोहन सिंह राठौड पुत्र श्री दिलीप सिंह उम्र 27 साल प्रोपराईटर मैसर्स राजपुत स्पोटर्स एन्टर प्राईजेज फ्लेट नं. एस-1,101 गणेष नगर-17 निवारू रोड जयपुर के प्रोपराईटर एवं
5. श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री कुँज बिहारी शर्मा उम्र 37 साल प्रोपराईटर शर्मा स्पोटर्स एन्टरप्राईजेज 25 बी दशहरा कोठी **के पीछे गोविन्द नगर पूर्व, जयपुर एवं अन्य लोकसेवक तथा लाभार्थियों**

8.– परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– **राशि** 2,86,93,852 **रूपये।**

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

हालात इस प्रकार है कि उपनिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार - द्वितिय तल, ए विंग, प्रवर्तन भवन, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली- 110011 के पत्रांकः T-1/HQ/Misc/Pvt / 40/ 2023 दिनांक 11.09.2023 के संलग्न प्राप्त जॉच रिपोर्ट मे मुख्यतः विधान सभा क्षेत्र बहरोड, जिला अलवर मे 32 विभिन्न राजकीय विधालयो मे विधायक मद (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) से करीबन 3.72 करोड रूपये की खेल सामग्री के क्रय हेतु की गई निविदा प्रक्रिया मे धांधली एवं छेडछाड किये जाने, निविदा ऐसी फर्मो/ कम्पनियों को दिए जाने जिन्हे वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने एवं निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के मध्य की अवधि मे खेल सामग्री क्रय किये जाने के नाम पर अस्तित्व मे लाया गया खेल सामग्री को

मूल/बाजार मूल्य से ढाई गुणा अधिक दर पर खरीद किया जाना, राजस्थान लोक उपापन नियम 2013 के निविदा नियमों का उल्लंघन कर उपरोक्त फर्मो हेतु खेल सामग्री निर्माण सम्बन्धी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाना, इच्छित फर्मो को निविदा दिया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निविदा की सूचना का प्रचार नियमानुसार जाने-माने व प्रसिद्ध समाचार पत्रों मे ना कर सीमित प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्र मे करना, खेल सामग्री के क्रय के नाम पर उक्त फर्मो को किये गये भुगतान की राशि को दो दिवसों मे फर्मो के बैंक खातो से निकाला जाना, खेल सामग्री का क्रय अनेक विद्यालयों मे सामग्री की आवश्यकता ना होते हुए एवं विधालय प्रधानों की अनुशंसा के विरूद्ध किया जाना एवं कई विद्यालयों मे उचित खेल मैदान उपलब्ध नही होने के इत्यादि अनियमितताऐं कारित कर लोक सेवको ने लाभार्थी फर्मो व अन्य से मिलीभगत कर खेल सामग्री क्रय करने हेतु निविदाऐं जारी कर राजकोष को करीबन 362.96 लाख रूपये का नुकसान पहुंचाया जाना पाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार से प्राप्त उक्त पत्र एवं संलग्न जॉच रिपोर्ट के क्रम मे मुख्यालय के निर्णय अनुसार उक्त वर्णित आरोपों पर जॉच करने हेतु अज्ञात लोक सेवकों, लाभार्थी फर्मो व अन्य के विरूद्व जॉच करने हेतु ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार प्राथमिक जॉच सं. 44/2023 पंजीबद्ध की गई। उक्त प्राथमिक जॉच की जॉच के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि श्री बलजीत यादव, विधायक बहरोड (अलवर) ने अपने विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति नीमराना के निम्नांकित विधालयो मे विधायक कोष से खिलाडियों के लिये क्रिकेट खेल सामग्री यथा (1) SG Sunny Gold English Willow Cricket Bat – 50 नग (2) SG Cricket Helmet Carboth – 05 नग (3) SG Leather Rubber Cricket Ball (Red) – 50 नग (4) SG RSD Prolite Wicket Gloves Adult – 01 जोडी (5) SG Batting Pad HK Lite – 05 नग (6) DSC Spring Cricket Stumps Set - 05 जोडी इत्यादि निम्नांकित 31 विधालयो हेतु प्रति विधालय राशि 9.00 लाख रूपये की एवं सी.सै. स्कूल अकलीमपुर हेतु क्रिकेट के बैट-50, क्रिकेट किट-20, बैडमिन्टन किट-10 एवं क्रिकेट की मैट 10 सैट राशी 8.00 लाख रूपये मे क्रय कर आपूर्ति करने की अपनी अनुशंसा जिला परिषद अलवर को लिखित मे भिजवाने पर जिला परिषद अलवर द्वारा उक्त खेल सामग्री बतौर कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति नीमराना द्वारा क्रय कर विधालयो को आपूर्ति करने हेतु पंचायत समिति नीमराना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई थीः-

क्र. सं.	विधालय का नाम	MLA के अनुशंसा पत्र क्रमांक व दिनांक	प्रशासनिक स्वी.क्रमांक व दिनांक	तकनीकी स्वी. क्रमांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक दिनांक
1	सी.सै. स्कूल अकलीमपुर	122/1.5.2021	227-30 3.5.2021	25/4.5.2021	260-63 5.5.2021
2	रा.उ.मा.वि. डूमरोली	166/14.7.2021	1097-99 17.7.2021	69/29.7.2021	1304-07 5.8.2021
3	रा.उ.मा.वि. काठूवास	164 / 14.7.2021		66/29.7.2021	
4	शहीद मोहर सिंह रा.मा. वि.	165 / 14.7.2021		67/17.7.2021	

	वीरणवास				
5	रा.उ.मा.वि. कायसा	163/14.7.2021		68/29.7.2021	
6	रा.उ.मा.वि. खूंदरोठ	326/26.8.2021	1695-98 26.8.2021	74/6.9.2021	1799-1802 10.9.2021
7	रा.उ.मा.वि. रायसराणा	320/26.8.2021		82/6.9.2021	
8	रा.उ.मा.वि. मांजरीकलॉं	321/26.8.2021		79/6.9.2021	1711-13 10.9.2021
9	रा.उ.मा.वि. गिगलाना	322/26.8.2021		80/6.9.2021	
10	रा.उ.मा.वि. रैवाणा	328/26.8.2021		77/6.9.2021	
11	रा.उ.मा.वि. महतावास	330/26.8.2021		81/6.9.2021	
12	शहीद नरेन्द्र सिंह रा.उ.मा.वि. रोडवाल	325/26.8.2021		76/6.9.2021	
13	रा.मा.वि. तलवाना	323/26.8.2021		78/6.9.2021	
14	रा.उ.मा.वि. हुडिया कलॉं	329/26.8.2021		75.6.9.2021	3993-96 3.2.2022
15	रा.वरि.उ.संस्कृत वि. माजरी कलॉं	375/28.8.2021	3270-75 14.01.22	91/1.2.2022	3885-88 16.2.2022
16	शहीद विनोद कुमार रा.उ.मा.वि. नंगली बालाहीर	382/28.8.2021		89/1.2.2022	
17	रा.उ.मा. वि. कान्हावास	366/28.8.2021		102/1.2.2022	
18	रा.उ.मा.वि. दोसोद	363/28.8.2021		92/1.2.2022	
19	रा.उ.मा.वि. भीमसिंहपुरा	388/28.8.2021		99/1.2.2022	
20	रा.बा.उ. मा. वि. मांढण	353/28.8.2021		105/1.2.2022	
21	रा.बा.मा.वि. डूमरोली	351/28.8.2021		93/1.2.2022	
22	रा.उ.मा.वि. डाबडवास	361/28.8.2021		95/1.2.2022	
23	रा.मा.वि. बिघाना	357/28.8.2021		88/1.2.2022	
24	रा.उ.मा. वि. माजरा	352/28.8.2021		98/1.2.2022	
25	रा.उ.मा. वि. पीपली	373/28.8.2021		100/1.2.2022	
26	शहीद रिषी यादव रा.उ.मा.वि. माजरा	376/28.8.2021		103/1.20202	

27	रा.मा.वि. मांढण	370/28.8.2021		101/1.2.2022	
28	शहीद सत्यवीर सिंह रा.मा.वि. बसई भोपालिंसह	381/28.8.2021		97/1.2.2022	
29	रा.उ.मा.वि. नायसराना	354/28.8.2021		94/1.2.2022	
30	रा.उ.मा. वि. नानगवास	372/28.8.2021		96/1.2.2022	
31	रा.मा.वि. विजयनगर	359/28.8.2021		104/1.2.2022	
32	रा.मा.वि. बिचपुरी	356/28.8.2021		106/1.2.2022	

इस प्रकार विधायक बहरोड की अनुशंसा पर जिला परिषद अलवर द्वारा उपरोक्त 32 विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 03.05.2021 से 16.02.2022 के मध्य खेल सामग्री क्रय करने की कुल राशी 287.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर खेल सामग्री क्रय करने हेतु पंचायत समिति नीमराना को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जाकर क्रय हेतु बजट हस्तान्तरित किया गया था।

पंचायत समिति नीमराना द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे खेल सामग्री क्रय हेतु जो निविदा जारी की गई है, वह विधालयो के लिये ना करके 13 ग्राम पंचायतो हेतु की गई, जिनकी महत्त्वपूर्ण सूचना निम्नानुसार हैः-

	निविदा सूचना सं. एवं दि.	ग्रा.पं. का नाम	प्रषासनि स्वीकृति क्रमांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक व दिनांक	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा खोलने की तिथि
A	07/21-22 12.11.2021	अकलीमपुर	227-30/3.5.2021	260-63/5.5.2021	18.11.2021	22.11.2021
		कायसा	1097-99 17.7.2021	1304-07/ 5.8.2021		
		डाबरवास				
		काठूवास				
		डूमरोली				

	निविदा सूचना सं. एवं दि.	ग्रा.पं. का नाम	प्रषासनि स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक व दिनांक	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा खोलने की तिथि
B	8/21-22 8.12.2021	रायसराना	1695-98 26.8.2021	1799-1802/10.9.2021	15.11.21 रखी गई जिसे संषोधित कर 21.12.	16.11.21 रखी गई जिसे संषोधित कर 22.12.
		महतावास		1711-13 /10.9.2021		
		गिगलाना				

		माजरी कला			2021	2021
		तलवाना (रेवाणा)				

	निविदा सूचना सं. एवं दि.	ग्रा.पं. का नाम	प्रषासनि स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक व दिनांक	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा खोलने की तिथि
C	10/2021-22 4.1.2022	रोडवाल	1695-98 28.8.2021	1711-13/10.9.2021	11.1.2022	12.1.2022
		रैवाना				
		खून्दरोठ		1799—1802 / 10.9.21		

वित्तीय वर्ष 2021-22 मे जारीशुदा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों मे से उपरोक्त 13 ग्राम पंचायतों के अलावा शेष रह रहे निम्नांकित 19 विधालयो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में खेल सामग्री क्रय करने हेतु प्रक्रिया अमल मे लाई गई।

D	क्र.सं.	विधालयो का नाम	प्रशासनिक स्वी.क्रमांक व दिनांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक दिनांक
	1	रा.उ.मा.वि. हुडिया कलाँ	1695-98/26.8.21	3693-96/3.2.22
	2	रा.वरि.उ.संस्कृत वि. माजरी कलाँ	3270-75 14.01.2022	3885-88 16.2.2022
	3	शहीद विनोद कुमार रा.उ.मा.वि. नंगली बालाहीर		
	4	रा.उ.मा. वि. कान्हावास		
	5	रा.उ.मा.वि. दोसोद		
	6	रा.उ.मा.वि. भीमसिंहपुरा		
	7	रा.बा.उ. मा. वि. मांढण		
	8	रा.बा.मा.वि. डूमरोली		
	9	रा.उ.मा.वि. डाबडवास		
	10	रा.मा.वि. बिघाना		
	11	रा.उ.मा. वि. माजरा		
	12	रा.उ.मा. वि. पीपली		
	13	शहीद रिशी यादव रा.उ.मा.वि. माजरा		
	14	रा.मा.वि. मांढण		
	15	शहीद सत्यवीर सिंह रा.मा.वि. बसई भोपालिसह		
	16	रा.उ.मा.वि. नायसराना		
	17	रा.उ.मा. वि. नानगवास		
	18	रा.मा.वि. विजयनगर		

	19	रा.मा.वि. बिचपुरी		

निविदा सं. 07/2021-22 के तहत तीन फर्मो (1) बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि.जयपुर, (2) राजपूत स्पोंटर्स जयपुर एवं (3) सूर्या एन्टरप्राइजेज जयपुर द्वारा निविदा डाली गई। निविदाओं मे राजपुत स्पोंटर्स द्वारा तकनीकी बोली के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क तथा बोली प्रतिभूति (धरोहर राशी) की डी.डी. संलग्न नही करने के कारण उसको शामिल नही किया गया तथा ग्राम पंचायत डाबडवास, काठूवास, कायसा एवं डूमरोली मे खेल सामग्री सप्लाई करने हेतु फर्म मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा. लि. जयपुर से नेगोषिएषन किया जाकर कार्यादेश दिया गया। **निविदा सं. 08/2021-22** के तहत भी उक्त तीन फर्मो (1) बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि., (2) सूर्या एन्टरप्राईजेज एवं (3) राजपूत स्पोंटर्स एन्टरप्राइजेज द्वारा ग्राम पंचायत माजरी कलॉ (रा.उ.मा.वि. मॉजरी कलॉ) के लिये प्रस्तुत की गई निविदा दरां के आधार पर तैयार किये गये तुलनात्मक विवरण पत्र मे खेल सामग्री डीएससी स्प्रिंग क्रिकेट स्टम्प की दरें अंकित नही करनें एवं उक्त सामग्री की दरें अनुमोदित नही करने के उपरान्त भी उक्त विधालय मे डीएससी स्प्रिंग क्रिकेट स्टम्प आपूर्ति करने हेतु पंचायत समिति नीमराना द्वारा कार्यालय आदेष क्रमांक 2301 दिनांक 04.01.2022 से फर्म बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि. को राशी 5513 रूपये का कार्यादेष देना पाया गया है तथा उक्त फर्म द्वारा उक्त विधालय में खेल सामग्री डीएससी स्प्रिंग क्रिकेट स्टम्प सप्लाई भी किया गया है। अर्थात क्रयादेश जारी करने मे भी क्रय समिति द्वारा स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता पूर्ण कृत्य किया गया है।

निविदा सं. 10/2021-22 के तहत भी उक्त तीनों फर्मो (1) बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि.जयपुर, (2) राजपूत स्पोंटर्स जयपुर एवं (3) सूर्या एन्टरप्राइजेज जयपुर ने ही भाग लिया। उक्त निविदा के पेटे पंचायत समिति नीमराना द्वारा फर्म राजपूत स्पोंटर्स,जयपुर की दरे स्वीकृत कर कार्यादेष दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे जारी की गई उक्त निविदाओं के तहत जारी कार्यादेषों के पेटे पंचायत समिति नीमराना द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड अनुसार निम्नानुसार बिल पारित कर भुगतान किया जाना पाया गया हैः-

फर्म का नाम	बिल स्वीकृति नं.	दिनांक	पारित की गई भुगतान राशी	कटौतियाँ	शुद्ध भुगतान राशी (रूपये मे)
राजपूत स्पोंटर्स	2411	19.1.2022	26,99,046	78,400	26,20,646
सूर्या एन्टर प्राईजेज	2304	19.1.2022	1,15,900	1,15,900	38,74,100
बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि.	2247	19.1.2022	1,42,554	1,42,554	47,65,045

कुल योगः-			1,15,96,645	3,36,854	1,12,59,791

वित्तीय वर्ष 2021-22 मे जारीषुदा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों मे से उपरोक्त 13 ग्राम पंचायतों के अलावा शेष रह रहे निम्नांकित 19 विधालयो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में खेल सामग्री क्रय करने हेतु प्रक्रिया अमल मे लाई गई।

क्र.सं.	विधालयो का नाम	प्रशासनिक स्वी.क्रमांक व दिनांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक दिनांक
1	रा.उ.मा.वि. हुडिया कलॉं	1695-98/26.8.21	3693-96/3.2.22
2	रा.वरि.उ.संस्कृत वि. माजरी कलॉं	3270-75 14.01.2022	3885-88 16.2.2022
3	शहीद विनोद कुमार रा.उ.मा.वि. नंगली बालाहीर		
4	रा.उ.मा. वि. कान्हावास		
5	रा.उ.मा.वि. दोसोद		
6	रा.उ.मा.वि. भीमसिंहपुरा		
7	रा.बा.उ. मा. वि. मांढण		
8	रा.बा.मा.वि. डूमरोली		
9	रा.उ.मा.वि. डाबडवास		
10	रा.मा.वि. बिघाना		
11	रा.उ.मा. वि. माजरा		
12	रा.उ.मा. वि. पीपली		
13	शहीद रिषी यादव रा.उ.मा.वि. माजरा		
14	रा.मा.वि. मांढण		
15	शहीद सत्यवीर सिंह रा.मा.वि. बसई भोपालिंसह		
16	रा.उ.मा.वि. नायसराना		
17	रा.उ.मा. वि. नानगवास		
18	रा.मा.वि. विजयनगर		
19	रा.मा.वि. बिचपुरी		

पंचायत समिति नीमराना द्वारा कार्यालय पत्रांक 1206 दिनांक 18.7.2022 से ई-बोली सूचना सं. 8/2022-23 जारी की गई एवं दिनांक 10.8.2022 को यह बोली खोलने की तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त निविदा का प्रकाशन समाचार जगत, जयपुर एवं दा इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) नई दिल्ली मे करवाते हुए ऑन लाईन पोर्टल SPPP एवं E-Proc पर अपलोड किया गया था। पत्रावली अनुसार उक्त निविदा को दिनांक 10.08.2022 के स्थान पर दिनांक 12.8.2022 को खोलने पर कुल 03 फर्मो (1) मैसर्स शर्मा स्पोंटर्स जयपुर, (2) मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा. लि.जयपुर एवं (3) सूर्या एन्टर प्राईजेज,जयपुर की तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ प्राप्त हुई थी। पंचायत समिति नीमराना की पत्रावली पर उपलब्ध सूचना के अनुसार

उक्त तीनो फर्मो की तकनीकी बोली खोली गई तो उसमे मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा. लि. जयपुर द्वारा धरोहर राशि जमा नही करवाने के कारण उसकी वित्तीय बिड नही खोली जाने बाबत तथ्य पत्रावली मे अंकित किये हुए है, जबकि इसके विपरीत बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन की वित्तीय बिड मे प्रस्तुत की गई दर का प्रपत्र खुला हुआ मैन्यूअल तैयार किया हुआ उक्त निविदा की पत्रावली मे संलग्न किया हुआ है, जो राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्षिता नियम 2013 के नियम-58 (ख) का स्पष्ट उल्लंघन है। मैसर्स शर्मा स्पोर्टर्स, जयपुर एवं सूर्या एन्टर प्राईजेज, जयपुर द्वारा तकनीकी बोली पूर्ण करने बाबत तथ्य पत्रावली में अंकित कर उनकी वित्तीय निविदा खोली गई तो खेल सामग्री की दरें निम्नानुसार अंकित की गईः-

सामग्री का नाम	पत्रावली मे लगे दस्तावेज			कम्प्यूटर से निकाले हुए प्रिन्ट	
	सूर्या एन्टर प्राईजेज	शर्मा स्पोर्टर्स	बालाजी	शर्मा स्पोर्टर्स	सूर्या एन्टर प्राईजेज
एसजी सनी गोल्ड इंगलीश विलो क्रिकेट बैट	15600	15600	15600	15525	15554
एसजी क्रिकेट हैलमेट क्राबोथ	3999	3999	3999	3915	3990
एसजी लैदर रबर क्रिकेट लाल बाल	480	480	480	468	475
एसजी आर.एस.डी. प्रोलाईट विकेट ग्लव्स एडल्ट	1365	1365	1365	1355	1360
एसजी बेटिंग पैड हाई लाईट	3100	3100	3100	2980	3081
डी.एस.सी. स्प्रींग क्रिकेट स्टम्प सैट	1099	1099	1099	1023	1078

इस पर क्रय समिती द्वारा मैसर्स शर्मा स्पोर्टस जयपुर की दरें न्यूनतम मानते हुए उसे खेल सामग्री विधालयो मे सप्लाई करने हेतु पंचायत समिति नीमराना के पत्रांक 1486 दिनांक 12.8.2022 द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था।

आपूर्ति कर्ता फर्म मैसर्स शर्मा स्पोर्टस जयपुर को पंचायत समिति नीमराना द्वारा एफ.वी.सी. बिल नं. 186 दिनांक 12.9.2022 द्वारा दिनांक 12.9.2022 को कुल राशि 1,70,97,207 रूपये का भुगतान पारित किया जाकर उसमे से नियमानुसार आयकर-1 प्रतिशत राशि- 1,70,972 रूपये, जीएस.टी राशि- 3,25,662 रूपये की कटौती कर शुद्व राशि 1,66,00,573 रूपये का दिनांक 20.9.2022 को भुगतान किया जाना पाया गया है।

पंचायत समिति नीमराना द्वारा उपरोक्तानुसार कुल 32 विधालयो हेतु खेल सामग्री क्रय करने हेतु की गई निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने वाली चारों फर्मो के संबंध में प्राप्त सूचना एवं रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः-

1- मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि. जे-94, नारायण विहार, सांगानेर, जयपुर के निदेषक श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भान सिंह एवं श्री गंगाराम मीणा थे। उक्त दोनों के द्वारा दिनांक 5.5.2021 को उक्त फर्म बनाई गई और इसका दिनांक 17.5.2021 को वाणिज्यिक कर विभाग मे पंजीयन करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.8.2022 को उक्त फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीयन निरस्त किया जा चुका है।

2- मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं. 41, गोविन्द विहार, बदरवास, गोपालपुरा ,बाईपास, जयपुर के प्रोपराईटर श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री विजय सिंह थे। जिसने दिनांक 5.5.2021 को उक्त फर्म बनाई और इसका दिनांक 17.5.2021 को वाणिज्यिक कर विभाग मे पंजीयन करवाया गया। वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त फर्म एक फर्जी एवं बोगस फर्म थी।

3- मैसर्स राजपूत स्पोर्टर्स एन्टर प्राईजेज, फ्लेट नं. एस-1, 101 गणेष नगर-17, निवारू रोड, जयपुर के प्रोपराईटर श्री राजमोहन सिंह राठौड पुत्र श्री दिलीप सिंह थे। जिसने दिनांक 15.9.2021 को उक्त फर्म बनाई और इसका दिनांक 9.10.2021 को वाणिज्यिक कर विभाग मे पंजीयन करवाया गया। तत्पश्चात फर्म की प्रार्थना पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 29.7.2022 को पंजीयन निरस्त किया जा चुका है।

4- शर्मा स्पोर्टर्स एन्टरप्राईजेज, 25 बी, दशहरा कोठी के पीछे गोविन्द नगर पूर्व, जयपुर के प्रोपराईटर श्री श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री कुँज बिहारी शर्मा थे। जिसने दिनांक 15.5.2022 को उक्त फर्म बनाई और इसका दिनांक 6.6.2022 को वाणिज्यिक कर विभाग मे पंजीयन करवाया गया। तत्पश्चात फर्म की प्रार्थना पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 29.7.2022 को पंजीयन निरस्त किया जा चुका है।

जाँच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि विधायक बहरोड की अनुशंसा पर जिला परिषद अलवर द्वारा, उपरोक्तानुसार कुल 32 विधालयो मे कुल राशी 287.00 लाख रूपये की खेल सामग्री क्रय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियाँ दिनांक 3.5.2021 से 14.01.2022 तक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ दिनांक 5.5.2021 से 16.2.2022 तक जारी कर खेल सामग्री क्रय करने हेतु विधायक की अनुशंसा पर कार्यकारी एजेन्सी के बतौर पंचायत समिति नीमराना को नामित किया गया।

एक वित्तीय वर्ष 2021-22 मे एक ही प्रकार की खेल सामग्री क्रय करने हेतु उपरोक्तानुसार प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं। उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम मे पंचायत समिति नीमराना द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 7 की पालना सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2021-22 मे योजना बनाकर कुल राशी 287.00 लाख रूपये की सिर्फ एक ही निविदा जारी कर खेल सामग्री क्रय की जानी

चाहिये थी, परन्तु तत्समय पंचायत समिति नीमराना में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारीगणों द्वारा अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने वाली फर्मो से आपसी मिलीभगत करके उन्हे अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देष्य से सामग्री क्रय के स्थापित नियमों व प्रावधानों के विपरीत जाकर जिला परिषद अलवर से उक्त क्रय हेतु एक ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने के बावजूद माह नवम्बर-2021 से माह जूलाई-2022 के मध्य करीबन 04 से 07 माह की अवधि निकल जाने के बाद में खेल सामग्री खरीद की प्रक्रिया अमल में लाई गई। इसी दरम्यानी अवधि मे निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने वाली फर्मो (1) मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि. जयपुर, (2) मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज जयपुर, (3) मैसर्स राजपूत स्पोर्टर्स एन्टरप्राईजेज जयपुर एवं (4) षर्मा स्पोर्टर्स एन्टरप्राईजेज जयपुर को अस्तित्व में लाया गया।

पंचायत समिति नीमराना द्वारा उक्त वित्तीय स्वीकृतियों के क्रम मे खेल सामग्री क्रय के लिये 02 वित्तीय वर्षो (2021-22 एवं 2022-23) मे अलग- अलग टुकडो मे 04 निविदायें 2021-22 मे 03 एवं 2022-23 मे 01 जारी की गई, ताकि चहेती फर्मों को ऑन-लाईन निविदा से बचाया जा सके तथा बगैर खुली प्रतिस्पर्धा के उन्हें सीमित प्रतिस्पर्धा के जरिए निविदाओं में लाभान्वित किया जा सके। नियमानुसार राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 12 सपठ्ति राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 8, उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएँ, में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि धारा 8 (2) उपापन संस्था, उपधारा (1) के अधीन अपनी बाध्यताओं से बचने या बोली लगाने वालों के मध्य प्रतियोगिता को सीमित करने या इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से अन्यथा बचने के लिए, उपापन के मूल्य को प्राक्कलित करने हेतु न तो अपने उपापन को विभाजित करेगी और न ही किसी मूल्यांकन रीति विषेष का उपयोग करेगी। इस प्रकार पंचायत समिति नीमराना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वाराय एक 8.00 लाख रूपये की तथा शेष 9.00-9.00 लाख रूपये की टुकडों में निविदा करके, राष्ट्रीय स्तर पर ऑन-लाईन प्रतिस्पर्धा से बचते हुए, सीमित प्रतिस्पर्धा में महज चार फर्मो को निविदा का लाभ देने के उद्देष्य से निविदाएँ जारी कर घटिया स्तर की खेल सामग्री की अत्यधिक ऊँची दरों पर निविदाओ को स्वीकृत कर राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 सपठित राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 28 (2) एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के खण्ड प्रथम के पार्ट प्रथम के नियम 10 का उल्लंघन करते हुए राजकोष को अनुचित हानि कारित करना प्रमाणित होता है।

पंचायत समिति नीमराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे खेल सामग्री क्रय करने हेतु क्रय कमेटी का गठन किया गया, जिसमे पंचायत समिति नीमराना मे कार्यरत 04 सदस्यो सर्व श्री राजेश पंवार- विकास अधिकारी, श्री राजेश कुमार कंडेरा- सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, श्री कैलाश चन्द जॉगिड- सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्रीमती हर्षवर्धनी अवस्थी-सहायक अभियन्ता को नियुक्त किया गया था। इस समिति मे क्रिकेट खेल सामग्री से संबंधित विषय विषेषज्ञ को नही रखा गया, पंचायत समिति नीमराना मे यदि कोई क्रिकेट खेल सामग्री विषय विषेषज्ञ उपलब्ध नही था तो पंचायत समिति के द्वारा जिला खेलकूद अधिकारी अलवर

को पत्र द्वारा निवेदन करके ऐसे विषय विषेषज्ञ की नियुक्ति करवाई जानी चाहिए थी, ताकि क्रय की जाने वाली खेल सामग्री के विषेषज्ञ द्वारा क्रय सामग्री के स्पेसिफिकेषन तैयार कर अच्छी क्वालिटी की खेल सामग्री उचित दरो पर क्रय करवाई जाती। इस बाबत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 3 मे स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। वस्तुतः पंचायत समिति नीमराना द्वारा क्रय कमेटी मे खेल सामग्री के विषय विषेषज्ञ को इस वजह से नही रखा गया ताकि उचित स्पेसिफिकेशन नही बनेंगें और अपनी चहेती फर्मो से निम्न क्वालिटी की खेल सामग्री उच्च दरों पर क्रय कर फर्मो को बिना उनके सप्लाई किए गए माल की गुणवत्ता परखे फर्मो को लाभान्वित किया जा सकेगा।

जिला परिषद द्वारा खेल सामग्री क्रय करने हेतु जारी स्वीकृतियों के क्रम मे पंचायत समिति नीमराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे जो 03 निविदाएँ (निविदा सं. 7/2021-22, 8/2021-22 एवं 10/2021-22) 13 विधालयो की खेल सामग्री क्रय करने हेतु (12 स्कूलों के लिये 9.00 लाख रूपये प्रति ग्राम पंचायत एवं 08 लाख रूपये एक ग्राम पंचायत (सी.सै. स्कूल अकलीमपुर) की दर से कुल राशी 1.16 करोड रूपये कुल राशि एक करोड रूपये से अधिक होने के उपरान्त भी स्वीकृति आदेशों मे अंकित समस्त विधालयो के लिये एक ही निविदा जारी ना कर इसके विपरीत प्रति ग्राम पंचायत राशि रूपयें 9.00 -9.00 लाख एवं 8 लाख रूपये की खुली निविदायें जारी करके निविदा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 सपठित राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 28 (2) का उल्लंघन करते हुए आमंत्रित की गई है।

उक्तानुसार रूपये एक करोड से अधिक की निहित राशि होते हुए भी उक्त निविदा का प्रकाशन क्रय समिती, पंचायत समिति नीमराना द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय जयपुर के माध्यम से नही करवाया जाना पाया गया और निविदा सूचना को अधूरी तैयार कर मे पंचायत समिति द्वारा सामग्री का मेक, साईज एवं स्पैसिफिकेषन का उल्लेख करना आवष्यक होने के उपरान्त भी उल्लेख नही किया गया जो राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 36 (घ) का उल्लंघन करने की श्रेणी मे आता है। पंचायत समिति नीमराना मे पदस्थापित अधिकारी व कर्मचारीगण यह तथ्य भली-भाँति जानते थे कि वर्ष 2021-22 मे रूपये 1.16 करोड के लिए की जा रहे 3 टेण्डरो मे आर.टी.पी.पी.नियमानुसार ई-टेण्डरिंग करवाने पर अधिक संख्या मे प्रतियोगी आएंगे व दरे प्रतिस्पर्धात्मक रहेंगी व वे अपनी चहेती फर्मो को निविदा अवार्ड नहीं कर पाएगें इसलिये ही उनके द्वारा उक्त निविदा की ई-टेण्डरिंग नही की गई एवं इसी कारण खेल सामग्री क्रय हेतु प्राप्त निविदाओं मे उचित एवं खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरे पंचायत समिति को प्राप्त नही हुई। यदि इनके द्वारा उक्त निविदाओं की ई-टेण्डरिंग की जाती तो उसमे अधिक फर्मो द्वारा निविदा प्रक्रिया मे भाग लिया जाता और अच्छी खेल सामग्री एवं उनकी उचित एवं खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त होती, परन्तु दोषी कार्मिको द्वारा जानबूझकर अपनी चहेती फर्मों से अधिक दरों पर खेल सामग्री क्रय कर उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देष्य से ही टेण्डर की राशी के, नियम विरूद्व टुकडे करके अलग अलग छोटी-छोटी निविदाएँ जारी करना पाया गया है। जिला परिषद अलवर द्वारा अन्तिम वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16.2.2022 को जारी की गई। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति में करीबन डेढ माह

शेष था,और उस अवधि में निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती थी। किन्तु निविदा प्रक्रिया माह जुलाई 2022 तक टाली गई और उसी अवधि मे दिनांक 15.5.2022 को इच्छित फर्म शर्मा स्पोंटर्स जयपुर को अस्तित्व मे लाया गया ताकि वह निविदा प्रक्रिया में प्रवेश कर सुविचारित योजना के अनुरूप खेल सामग्री सप्लाई का कार्यादेश पा सके।

विधायक की अनुशंसा पर नामित विद्यालयों के लिये जिला परिषद अलवर द्वारा खेल सामग्री क्रय करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई थी, उसके उपरान्त भी पंचायत समिति नीमराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे जो 03 निविदाएं (निविदा सं. 7/2021-22 , 8/2021-22 एवं 10/2021-22) जारी की गई है, वे विधालयो हेतु खेल सामग्री क्रय करने हेतु जारी नही की जाकर ग्राम पंचायतों के लिये खेल सामग्री क्रय कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाने हेतु पंचायत समिति स्तर से कार्यादेष दिया जाना तथा फर्मो से खेल सामग्री ग्राम पंचायत मे सप्लाई नही करवाकर विधालयो में सप्लाई करवाना पाया गया है। जबकि निविदा की शर्तो मे एफ.ओ. आर. का स्थान कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नीमराना अंकित किया गया था। यदि यह सामग्री एफ.ओ. आर. के अनुसार पंचायत समिति मे आती तो गुणवत्ता परीक्षण, सैम्पल से मैचिंग कर सप्लाई की गई सामग्री कों उचित स्तर की पाए जाने पर ही स्वीकार की जाती व तत्पश्चात विधालयो को आवंटित की जाती। किन्तु ऐसा नही कर चहेती फर्मो के पक्ष मे नियम विरूद्व कृत्य किया गया है, जो राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 36 (घ) एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के पार्ट द्वितीय के नियम 4 व 5 का स्पष्ट उल्लंघन है।

पंचायत समिति नीमराना द्वारा जारी निविदा मे रखी गई शर्तो मे शर्त संख्या 34 मे माल निविदा मे वर्णित क्वालिटी के अनुरूप होना तथा शर्त सं. 42 मे माल/ सामग्री मेक, साईज, स्पेशिफिकेशन अनुसार सामग्री आपूर्ति करने हेतु लिखा गया है, जबकि निविदा मे सामग्री की मेक, साईज एवं स्पेशिफिकेशन का उल्लेख ही नही किया गया और नियम विरूद्व खेल सामग्री के नाम मे विभिन्न आर्टिकल्स के कम्पनी/ ब्रांड का नाम दर्ज है। जबकि निविदा मे विषय विषेशज्ञ द्वारा बनाए हुए खेल सामग्री के जैनरिक स्पेसिफिकेशन जैसे क्रिकेट बैट की लकडी किस प्रकार की होगी, बैट का साईज, बैट का वजन, किस पदार्थ की पॉलिश होगी एवं हैण्डल पर कवर कैसा होगा इत्यादि व इसी प्रकार हैलमेट की मजबूती इत्यादि समस्त आर्टिकल्स का स्पेसिफिकेशन नहीं दर्शाकर नियमों के विपरीत सामग्री की कम्पनी/ फर्म का नाम/ ब्रांड का नाम लिखा गया है :- जैसे सनी गोल्ड इंगलिश विलो क्रिकेट बैट, एसजी क्रिकेट हैलमेट कार्बोथ इत्यादि य इससे यह जाहिर होता है कि क्रय समिति द्वारा किसी कम्पनी, ब्रांड / फर्म को प्रमोट किया जा रहा है। अतः अपनाई गई निविदा प्रक्रिया महज ऑखों मे धूल झोंकना था। क्रय की जाने वाले सामग्री के ब्रांड को पहले से तय कर चहेती पार्टियों की फर्मो का निर्माण किया गया, सीमित प्रतिस्पर्धा हेतु अपेक्षाकृत अल्प वितरण के समाचार पत्रों में निविदाएं प्रकाशित की गई, ई- टेण्डरिंग की शर्त को टालने के लिए कुल राशि 1.16 करोड की निविदा नही कर 9.00 लाख- 9.00लाख रूपये एवं एक 8.00 लाख रूपये की निविदाएं टुकडों में आमंत्रित की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 मे प्राप्त कुल राशी 287.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वाकृतियॉ के अन्तर्गत खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु अलग-अलग टुकडो मे कुल 04

निविदाएँ (वित्तीय वर्ष 2021-22 मे 03 एवं 2022-23 मे 01) जारी की जाकर जिन चार फर्मो (1) मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूषन प्रा.लि.जयपुर, (2) मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज जयपुर, (3) मैसर्स राजपूत स्पोंटर्स जयपुर एवं (4) षर्मा स्पोंटर्स एन्टरप्राईजेज जयपुर की निविदाए प्राप्त की गई है। प्राप्त निविदाओं की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्मो में से किसी भी फर्म द्वारा निविदाओं मे वर्णित शर्तो की पालना नही की गई और ना ही क्रय समिती द्वारा य तकनीकी बिड के संलग्न फर्मो के द्वारा प्रस्तुत नही किए गए तकनीकी दस्तावेजों जैसे जी.एस.टी. पंजीयन, व्यवसाय अनुभव, जी.एस.टी. क्लीयरन्स सर्टिफिकेट, आई.टी. चुकता प्रमाण पत्र तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित सामग्री की विशिष्टियों अनुसार फर्म से सैम्पल प्राप्त होना, एस.आर.11 अधिकृत डीलर/ व्यवसायी होने का प्रमाण पत्र, बयाना राशि प्राप्ति का विवरण पत्र, फर्म के तीन वर्ष की आयकर रिटर्न एवं जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति इत्यादि, तकनीकी बिड खोलने पर नही मिलने के उपरान्त भी य नियमानुसार इनकी मॉग ही नही की गई है। अर्हता स्वरूप प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज ना होने के आधार पर फर्मो को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जाता है किन्तु क्रय समिति द्वारा यह नही किया गया है। तथा तुलनात्मक विवरण प्रपत्र पर क्रय समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते है व उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। क्रय कमेटी द्वारा फर्मो की वित्तीय बोली खोलने का निर्णय किस आधार पर लिया गया इस बाबत क्रय समिति की अनुशंसा का उल्लेख भी पत्रावली/ नोट शीटों मे नही किया जाना पाया गया है।

निविदा की शर्त सं.-05 दरें गंतव्य स्थान (विकास अधिकारी पंचायत समिति नीमराना) तक तयशुदा एफ.ओ. आर. स्थान अंकित की जानी चाहिए.. आदि अंकित किया गया है, जबकि फर्मो की जो निविदा स्वीकृत की गई है, उनमें विधालयो तक के लिए दरे स्वीकृत की गई है। जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि क्रय कमेटी द्वारा निविदा दाता फर्मो को अनुचित लाभ पहुँचाने के कारण ही उनसे निविदा की शर्तो के विपरीत जाकर दरे पंचायत समिति नीमराना मे सप्लाई की नही ली जाकर विधालयो मे सप्लाई की ली गई हैं। एवं इसी कारण निविदादाताओं द्वारा अपनी निविदा मे अधिक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोडकर अपनी निविदाए दी गई है। यथा फर्म बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन द्वारा ग्राम पंचायत कायसा के लिये प्रस्तुत खेल सामग्री की निविदा दरों मे क्रिकेट बैट की दर- 16,275 रूपये, क्रिकेट हेलमेट की दर- 4095 रूपये, रबर क्रिकेट बॉल की दर -493.50 रू. विकेट ग्लव्स एडल्ट की दर- 1260 रूपये, बैटिंग पैड हाई लाईट- 3150 रूपये, डीएससी स्प्रिंग क्रिकेट स्टम्प की दर- 1050 रूपये है, जबकि इसी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत डाबडवास के लिये प्रस्तुत खेल सामग्री की निविदा दरों मे क्रिकेट बैट की दर- 16380 रूपये, क्रिकेट हेलमेट की दर- 4200 रूपये, रबर क्रिकेट बॉल की दर - 504 रू. विकेट ग्लव्स एडल्ट की दर- 1365 रूपये, बैटिंग पैड हाई लाईट - 3150 रूपये, डीएससी स्प्रिंग क्रिकेट स्टम्प की दर - 1470 रूपये अंकित की गई हैं।

जॉच के दौरान रेण्डम तरीके से छॉटकर पंचायत समिति नीमराना द्वारा क्रय कर खेल सामग्री सप्लाई किए गए चार विधालयो क्रमशः (1) राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय माजरी कलॉ, (2) राजकीय उ. मा. वि. खून्दरोठ, (3) रा. उ. मा. विधालय काठूवास एवं (4) रा. वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विधालय माजरी कलॉ मे सप्लाई की गई सामग्री मे से उपलब्ध खेल सामग्री

यथा क्रिकेट बैट, क्रिकेट हेलमेट, रबर क्रिकेट बॉल, विकेट ग्लव्स एडल्ट, बैटिंग पैड हाई लाईट, डीएससी स्प्रिंग क्रिकेट स्टम्प का भौतिक सत्यापन किया जाकर उनके सैम्पल जरिये फर्द सील कर लिये गये तथा विद्यालयों के स्टाफ की मौजूदगी मे उसकी विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान क्रय की गई खेल सामग्री प्रथम दृष्टया घटिया/ निम्न स्तर की तथा अत्याधिक उच्च दरों पर क्रय किया जाना स्पष्ट होता है।

उक्त निविदाओं के पेटे उपरोक्त चारो फर्मो द्वारा संबंधित विधालयो मे सप्लाई की गई खेल सामग्री घटिया श्रेणी की होने के उपरान्त भी पंचायत समिति नीमराना की खेल सामग्री क्रय समिती द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियमों की अवहेलना करते हुए सप्लाई की गई सामग्री की क्वालिटी की जॉच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही फर्मो को दिए गए कार्यादेशों में सामग्री की तय की गई दरों पर ही भुगतान किया जाना पाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त जॉच रिपोर्ट से यह भी पाया गया कि उक्त निविदाओं के अनुक्रम मे निम्नांकित फर्मो को किये गये भुगतान की राशी का आहरण निम्नानुसार किया गया है-

मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड को दिनांक 9.5.22 को कोषाधिकारी कार्यालय अलवर से इस कम्पनी के ICICI बैंक खाते मे उक्त सामग्री पेटे राशि 47.65 लाख रूपये की राजकीय निधि प्राप्त हुई। इस राशि 47.65 लाख रूपये मे से रूपये 45 लाख को उक्त कम्पनी द्वारा दिनांक 11.5.2022 को श्रीमती बबीता पत्नि मनोज यादव (विधायक बलजीत के चाचेर ससुर की लडकी) के SBI बैंक खाते मे हस्तान्तरित किया गया तथा शेष रूपये 2.65 लाख रूपये नकद मे कम्पनी के निदेशक खाताधारी श्री महेन्द्र सिंह यादव द्वारा आहरित कर लिये गये। श्रीमती बबीता यादव ने उक्त राशी 45 लाख रूपये को श्री महेश कुमार यादव (विधायक का साला) के SBI खाते मे तीन बार मे दिनांक 12.9.2022 को 30 लाख, दिनांक 5.12.2022 को 10 लाख तथा दिनांक 5.1.2023 को 5 लाख रूपये हस्तान्तरित किए गए। इस कम्पनी को राशि रूपये 47.65 लाख की राज्य निधि के आवंटन से पूर्व भी उपरोक्त व्यक्तियों के पुराने संबंध इससे सिद्व होते है कि रूचि जैमन (मैसर्स युवराज प्रा. लि. की निदेशक), शिव कुमार जैमन तथा वैभव यादव (विधायक का साला) के साथ कई पुराने भुगतान है। श्रीमती बबीता यादव के खातो के अध्ययन से यह जाहिर होता है कि उपरोक्त 45 लाख रूपये की बडी जमा के अलावा ना तो पहले और ना बाद मे इनके खाते मे कोई बडा लेन देन हुआ है। इस फर्म के बैंक खातो से सिद्व होता है कि हस्तगत निविदा से पूर्व इस फर्म का खेल सामग्री के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का व्यवसायिक अनुभव नही था तथा फर्म के खाते से उक्त निविदा पेटे क्रय की गई किसी भी खेल सामग्री के निर्माणकर्ता, सप्लायर्स एवं होलसैलर्स को कोई भुगतान नही किया गया है। उपरोक्त फर्म मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा. लि. कम्पनी का सृजन महज राजकीय निधि राशी 47.65 लाख रूपये को हडपने के उद्देश्य से किया गया था।

मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज के इण्डियन ऑवरसीज बैंक के खाते मे दिनांक 9.5.22 को राशि 38.74 लाख रूपये, 27.5.22 को 2.10 लाख तथा 27.3.2023 एवं 4.4.23 को सात बार मे रूपये 80.02 लाख रूपये का भुगतान कोषाधिकारी अलवर के कार्यालय से किया गया एवं इस

प्रकार कुल राशि 120.86 लाख रूपये का भुगतान हुआ है। इसके पश्चात उपरोक्त राशि मे से दिनांक 11.5.2022 को वैभव यादव (विधायक का साला) को राशी 38 लाख रूपयें, दिनांक 17.6.23 को घनश्याम को राशी 50 लाख रूपये, दिनांक 6.5.2023 को शंकर पोद्दार को राशी 6.71 लाख रूपये तथा दिनांक 12.7.23 को 10.61 लाख रूपये तथा दिनांक 25.4.22 को नवीन शर्मा (विधायक की फर्म का कर्मचारी है एवं शर्मा स्पोर्टर्स का मालिक) को राशी 75 हजार रूपये का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त राशि मे से शेष रही राशि फर्म के प्रो. श्री सीताराम गुर्जर द्वारा दिनांक 11.5.2023 से 17.6.23 के मध्य विभिन्न दिनांकों को नकद निकाल लिए गए।

उक्त राशी मे से दिनांक 24.7.23 को घनश्याम ने 5 लाख की निकासी की तथा दिनांक 26.7.23 को बबीता यादव के पति मनोज यादव को 16 लाख रूपये हस्तान्तरित किए। सूर्या एन्टर प्राइजेज के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट अखिलेश यादव (विधायक का चचेरा साला) के साथ क्रेडिट एवं डेबिट की कई रिवर्स एन्ट्री प्रदर्शित करता है। इस फर्म के पास तत्समय कोई व्यावसायिक अनुभव नही था तथा इसके खाते मे कोई भी महत्त्वपूर्ण राशी का स्थानान्तरण नही किए गए थे एवं कोषाधिकारी कार्यालय से राशि का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त भी कोई व्यावसायिक भुगतान खेल सामग्री क्रय के विहित उद्देश्य हेतु नही किए जाकर विधायक के रिश्तेदारो से ही करना पाया जाने के कारण उक्त फर्म का राजकीय राशि 120.86 लाख रूपये को हडप करने के लिये ही सृजन करना एवं अपना उक्त उद्देष्यपूर्ण होने के बाद मे फर्म को बंद करना पाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईज को कुल राशी 120.86 लाख रूपये का विधायक मद से भुगतान होना अंकित किया गया है। इस संबंध मे स्पष्ट किया जाता है कि जाँच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पाया गया है कि पंचायत समिति नीमराना द्वारा खेल सामग्री क्रय करने हेतु उक्त फर्म सूर्या एन्टरप्राईजेज का भुगतान बिल कुल राशी 39,90,000 रूपये का पारित किया गया एवं उसमे से राशी 1,15,900 रूपये की कटोतियाँ किये जाने के उपरान्त राशी 38,74,100 रूपये का ही भुगतान फर्म को दिनांक 9.5.2022 को किया गया है। जाँच रिपोर्ट मे दर्शित शेष अन्य भुगतान दिनांक 27.12.2022 राशि 2.10 लाख रूपये तथा दिनांक 27.3.2023 से दिनांक 4.4.2023 तक कुल 07 बार मे राशि 80.20 लाख रूपये का भुगतान पंचायत समिति नीमरान द्वारा नही किया जाकर नगर पालिका नीमराना द्वारा विधायक स्थानिय क्षेत्र निधि मे किया जाना पाया गया है।

मैसर्स राजपूत स्पोर्टस एन्टरप्राईजेज के इण्डियन ओवरसीज बैंक के खाते मे कोषाधिकारी अलवर से दिनांक 9.5.22 को 26.20 लाख की राजकीय निधि प्राप्त हुई। इस खाते से दिनांक 11.5.22 को नवीन शर्मा के इण्डियन ओवरसीज बैंक खाते मे राशि 26.20 लाख हस्तान्तरित किये गये, जिसमे से दिनांक 13.5.22 को 20 लाख रूपये अखिलेश यादव को हस्तान्तरित किये गये तथा रूपये 1.95 लाख नवीन शर्मा द्वारा दिनांक 13.5.22 को नकद निकाल लिये गये। इस फर्म के इण्डियन ओवरसीज बैंक मे स्थित उपरोक्त खाते को दिनांक 29.8.22 को बंद कर दिया गया क्योकि इसका जी.एस.टी. पंजीयन निरस्त हो गया था। इसके पश्चात फर्म द्वारा बैंक की उक्त शाखा मे ही दिनांक 27.5.22 को एक नया खाता खोला गया

जिसमे कोषाधिकारी अलवर से दिनांक 28.12.22 को रूपये 2.25 लाख की राजकीय निधि प्राप्त हुई जिसे तदुपरान्त दिनांक 30.5.22 को अखिलेश यादव के उक्त बैंक के खाते मे स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस फर्म के बैंक खाते के विवरण से अखिलेश यादव के खाते से कई क्रेडिट एवं डेबिट रिवर्स इन्द्राज किए होना पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट होता है कि उक्त फर्म का निर्माण राजकीय राशि को हडपने के लिये किया गया था। इस निविदा से पूर्व उक्त फर्म का खेल सामग्री के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का व्यावसायिक अनुभव नही था तथा फर्म के इस खाते से उक्त निविदा पेटे क्रय की गई किसी सामग्री के निर्माणकर्ता, सप्लायर्स एवं होलसेलर्स को कोई भुगतान नही किया गया है। महज राजकीय राशि को हडपने के लिए इस फर्म का सृजन किया गया है तथा उद्देश्य पूर्ण होने पर फर्म को बंद कर दिया गया है।

शर्मा स्पोर्टस एन्टरप्राईजेज के नाम से जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक मे दो खाते खोले गये। फर्म के प्रॉपराईटर नवीन शर्मा द्वारा जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक खाते की सूचना तो GST को दी किन्तु इण्डियन ओवरसीज बैंक के खाते की सूचना GST विभाग को नही दी गई। दिनांक 20.9.22 को कोषाधिकारी अलवर से इस फर्म के आई.ओ.बी. खाते मे रूपये 166.00 लाख रूपये की राजकीय निधि प्राप्त हुई। इसमे से अधिकतर राशि तुरन्त ही दिनांक 23.9.2022 श्रीमती बबीता यादव को राशी 75 लाख रूपये दिनांक 23.9.2022 को वैभव यादव को राशी 80 लाख रूपये तथा दिनांक 27.9.22 को नितिन कुमार गोयल को राशी 10 लाख रूपये हस्तान्तरित की गई। इस फर्म के उक्त बैंक खाते का विवरण वबीता यादव एवं वैभव यादव के बैंक खातो से कई रिवर्स एन्ट्री दर्शाता है। बबीता तथा वैभव के बैंक खातों से रिवर्स एन्ट्री के पश्चात राशि प्राप्त करने के बाद इस राशि को महेश कुमार के खाते मे कुल रू. 155 लाख को तीन टुकडो मे - यथा दिनांक 2.12.22 को रूपये 75 लाख, दिनांक 5.12.2022 को 30 लाख एवं दिनांक 5.12.22 को राशी 50 लाख रूपये मे प्राप्त की गई। उक्त राशि रूपये 155 लाख मे से राशि 38 लाख रूपये को 4 बार मे मैसर्स शर्मा स्पोर्टस को दिनांक 2.6.23, 7.6.23, 12.7.23 एवं 12.7.23 को हस्तानान्तरित कर दिए गए। विभिन्न दिनांको को नवीन शर्मा द्वारा कुल 8.15 लाख रूपये की नकद निकासी भी की गई है। नवीन शर्मा द्वारा IOB बैंक की इस शाखा मे स्थित अपने व्यक्तिगत खाते मे विभिन्न दिनांकों को कुल 17 लाख रूपये जमा किये गये। उक्त फर्म के प्रो. श्री नवीन शर्मा के (i) राजपूत स्पोर्टस (ii) सूर्या एन्टर प्राइजेज (iii) राव विरेन्द्र सिंह (मैसर्स यूवराज लक्ष्य का एक निदेशक एवं विधायक का भाई) एवं (iv) वैभव यादव के साथ काफी क्रेडिट एवं डेबिट हस्तान्तरण होना पाये गये है। इस निविदा से पूर्व उक्त फर्म का खेल सामग्री के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का व्यावसायिक अनुभव नही था तथा फर्म के इस खाते से उक्त निविदा पेटे क्रय की गई किसी भी सामग्री के निर्माणकर्ता, सप्लायर्स एवं होलसेलर्स को कोई भुगतान नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त फर्म का सृजन महज उपरोक्त राजकीय राशि को हडपने के लिये किया गया है तथा उद्देश्य पूर्ण होने पर फर्म को बंद कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि स्वीकृत राशि को बदनियति पूर्वक हडपनें के उद्देश्य से सुविचारित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 मे अनुशंसा जारी करने एवं निविदा आमंत्रित करने

की अवधि मे तीन फर्मो नाम से मैसर्स बालाजी, मै. सूर्या एन्ट. एवं मै. राजपूत स्पोंटर्स को सृजित किया गया एवं इसी प्रकार दिनांक 16..2.2022 को जारी वित्तीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की तिथी के मध्य चौथी फर्म मैसर्स शर्मा स्पोंटर्स का वित्तीय वर्ष 2022-23 मे सृजन किया गया।

निविदा जारी करने की तिथि 18.7.2022 के मध्य ही उक्त चारो फर्मो को अस्तित्व मे लाया जाना तथा अपना उद्देष्यपूर्ण होने के तुरन्त बाद फर्मो को बंद करना तथा कोषाधिकारी कार्यालय अलवर द्वारा फर्मो को खेल सामग्री की सप्लाई के लिए किए गये भुगतान की राशी को फर्मो के खाते मे आने के तुरन्त बाद खातों से आहरित कर अन्य व्यक्तियां के निजी बैंक खातों मे ट्रांसफर करना पाया गया है। प्रवर्तन विभाग द्वारा उक्त फर्मो के विरूद्व की गई जॉच मे भी उक्त फर्मो द्वारा इस निविदा से पूर्व खेल सामग्री के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का व्यावसायिक अनुभव नही होना तथा फर्मो द्वारा उक्त निविदा के पेटे क्रय की गई किसी भी खेल सामग्री के क्रय हेतु सामग्री के मूल निर्माणकर्ता, सप्लायर्स एवं होलसेलर्स को कोई भी भुगतान नही किया जाना एवं महज राजकीय राशि को हडपने के लिये फर्मो का सृजन किया जाना तथा उद्देश्य पूर्ण होने पर फर्म को बंद करना प्रमाणित माना है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर पाया गया कि श्री बलजीत यादव तत्कालीन विधायक बहरोड ने अपने विधानसभा क्षेत्र की स्कूलों के लिए खेल उपकरणों कि खरीद की आड में विधायक मद की राशी का गबन करने के उदेष्य से अपने परिचितों से उपरोक्त फर्जी फर्मो का रजिस्ट्रेशन करवाकर उनसे बाजार मूल्य से अधिक दरो पर घटिया निर्माण सामग्री की खरीद करवाना, उक्त फर्मो को जो भुगतान किया गया है, वह भुगतान ऐन-केन प्रकारेन उक्त बलजीत यादव तत्कालीन विधायक द्वारा अपने परिवारजनों के खातों में स्थानान्तरण करवाकर प्राप्त किया जाना पाया गया।

जॉच के दौरान उजागर हुये तथ्यों के आधार पर पाया गया कि श्री बलजीत यादव तत्कालीन विधायक बहरोड द्वारा विधान सभा क्षेत्र बहरोड के अन्तर्गत पंचायत समिति नीमराना मे विधायक मद (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) मे खेल सामग्री विधायक मद में क्रय करने हेतु अपनी जिला परिषद को की गई अपनी अनुशंषा में खेल सामग्री में कम्पनी विषेष का नाम अंकित कर अनुशंषा प्रेषित कर जिला परिषद अलवर से खेल सामग्री क्रय करने हेतू स्वीकृतियॉ जारी करवाना, खेल सामग्री क्रय हेतू गठित क्रय समिती के सदस्यों श्री राजेश पंवार, विकास अधिकारी, श्री ओमप्रकाश निर्मल, विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार यादव, विकास अधिकारी, श्री राजेश कुमार कंडेरा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, श्री मुकेश कुमार यादव, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, श्री कैलाश चन्द जॉगिड, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्रीमती हर्षवर्धनी अवस्थी, सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति नीमराना, श्री राजेन्द्र कुमार यादव, शारीरीक शिक्षक, रा.उ.मा. वि. बेलनी, पंचायत समिति नीमराना एवं अन्य द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुए राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम-80 (1)(ख) (घ) के अनुरूप शासकीय कर्त्तव्यों का निर्वहन नही कर अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर राजकीय राशी को हडपने के उद्देष्य से फर्जी एवं बोगस फर्मो मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूषन प्रा.लि. जयपुर के निदेषक श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भान सिंह एवं श्री गंगाराम मीणा, मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज, जयपुर के प्रोपराईटर श्री

सीताराम गुर्जर पुत्र श्री विजय सिंह, मैसर्स राजपुत स्पोर्टर्स एन्टर प्राईजेज, जयपुर के प्रोपराईटर श्री राजमोहन सिंह राठौड पुत्र श्री दिलीप सिंह एवं शर्मा स्पोर्टर्स एन्टरप्राईजेज, जयपुर के प्रोपराईटर श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री कुँज बिहारी शर्मा एवं अन्य लाभार्थीगणों के साथ आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्षिता नियम 2013 के नियम 3, 5, 6, 7, 12, 36 (घ), 38 (बी), 58 (ख), 68, 69 (2), 80 (1) (ख), 80 (1) (घ) एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 5, 8 एवं 28 (2) मे सामग्री क्रय करने हेतु निर्धारित किये गये प्रावधानों का एव सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के पार्ट प्रथम के नियम -10 एवं पार्ट द्वितीय के नियम-4 व 5 का उल्लंघन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 मे जिला परिषद द्वारा 32 विधालयो हेतु स्वीकृत की गई कुल राशी 287.00 लाख रूपये के विरूद्ध भुगतान की गई कुल राशी 2,86,93,852 रूपये को स्वयं श्री बलजीत यादव तत्कालीन विधायक बहरोड द्वारा हडप करने की मंशा से उक्त फर्मो के मालिकों एवं अन्य को अनुचित लाभ पहुंचाने एवं कम कीमत की घटिया खेल सामग्री का तत्समय प्रभावी बाजार दरों से अत्याधिक ऊँची दरो पर क्रय कर राजकोष को अनुचित हानि कारित करना पाया जाने से उक्त आरोपितों का यह कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा-7 (ग) ,13(1) (ए) सपठित धारा 13(2), 12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 409, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 41 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त सर्व श्री (1) बलजीत यादव तत्कालीन विधायक बहरोड (2) महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भान सिंह, निदेशक मैसर्स बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि. जे-94, नारायण विहार, सांगानेर, जयपुर (3) श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री विजय सिंह, प्रो. मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं. 41, गोविन्द विहार, बदरवास, गोपालपुरा ,बाईपास, जयपुर (4) श्री राजमोहन सिंह राठौड पुत्र श्री दिलीप सिंह, प्रोपराईटर मैसर्स राजपुत स्पोर्टर्स एन्टर प्राईजेज, फ्लेट नं. एस-1, 101 गणेष नगर-17, निवारू रोड, जयपुर के प्रोपराईटर एवं (5) श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री कुँज बिहारी शर्मा, प्रोपराईटर, शर्मा स्पोर्टर्स एन्टरप्राईजेज, 25 बी, दशहरा कोठी के पीछे गोविन्द नगर पूर्व, जयपुर एवं अपराध मे लिप्त अन्य संभावित के विरूद्ध उनके द्वारा कारित अपराध के समस्त पहलुओं पर विस्तृत अनुसंधान करने हेतु उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु बिना नम्बरी प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार)

पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर प्रथम अलवर ।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(ग), 13(1)(ए)सपठित धारा 13(2),12 भष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018)एवं 409, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदिशता अधिनियम 2012 की धारा 41 में आरोपीगण 1-श्री बलजीत यादव पुत्र श्री गोपीराम यादव उम्र 46 साल तत्कालीन विधायक बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली-बहरोड, 2-श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भान सिंह उम्र 45 साल निदेषक मै. बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन प्रा.लि. जे-94 नारायण विहार सांगानेर जयपुर 3-श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री विजय सिंह उम्र 24 साल प्रो. मैसर्स सूर्या एन्टरप्राईजेज प्लाट नं.41 गोविन्द विहार बदरवास गोपालपुरा बाईपास जयपुर 4-श्री राजमोहन सिंह राठौड पुत्र श्री दिलीप सिंह उम्र 27 साल प्रोपराईटर मैसर्स राजपुत स्पोटर्स एन्टर प्राईजेज फ्लेट नं. एस-1,101 गणेश नगर-17 निवारू रोड जयपुर के प्रोपराईटर एवं 5-श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री कुँज बिहारी शर्मा उम्र 37 साल प्रोपराईटर शर्मा स्पोटर्स एन्टरप्राईजेज 25बी दशहरा कोठी एवं बी, दशहरा कोठी के पीछे गोविन्द नगर पूर्व, जयपुर एवं अपराध मे लिप्त अन्य संभावित के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीवाड़ी को अनुसंधान अधिकारी मनोनीत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण की रोजनामचा आम में रपट संख्या 83 पर अंकित है।

(ज्ञान सिंह चौधरी)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1580-85 दिनांक 12.12.2024

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।
6. श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीवाडी।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।